## कार्यालयः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

**आदेश**

**(संख्या ...20... /2021)**

**दिनांक–22.04.2021**

कार्यालय INCIDENT COMMANDER/नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित–22.04.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती अर्चना रानी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संख्या–5, गाजियाबाद, श्री प्रफुल्ल कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–4, गाजियाबाद, श्री नीतेश वर्मा, लिपिक, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–16, गाजियाबाद एवं श्री प्रवीन कुमार, गनर, न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद के कोरोना धनात्मक (Positive) पाये जाने के कारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया से विरक्त रखते हुए परिसर में 24 घण्टे हेतु अस्थायी रूप से सीज करने की संस्तुति की गयी है।

अतएव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–548/पांच–8–2020 दिनांकित–14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897 की धारा–2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना (COVID–19) विनियमावली 2020 के प्रस्तर संख्या–12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या–1941/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad Dated 05.04.2021 के माध्यम से कोविड–19 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशो का अधिक्रमण (Supersession) करते हुए अधिनस्थ दीवानी न्यायालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जहां पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की राय में जिला न्यायालय/परिवार न्यायालयों को कुछ समय के लिए बन्द किया जाना है, वहॉ पर जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय बन्द किये जायेगें तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अनुक्रम में मैं, प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 23.04.2021 की प्रातः काल से आगामी 24 घण्टे तक सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद को जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के पीडित/संक्रमित होने के संज्ञान में आने के दृष्टिगत उक्त सोसायटी/क्षेत्र/परिसार को तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस (COVID–19) फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से सीज किये जाने एवं परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोडकर) प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश देती हूँ। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर–15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या– 1941/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad Dated 05.04.2021 में कोविड–19 के दौरान पूर्व जारी दिशा निर्देशो का अधिक्रमण (Supersession) करते हुए दिशा–निर्देश के अनुपालन में सभी परिवार न्यायालय एवं कार्यालयों का सैनिटाईजेशन प्रभारी नजारत गाजियाबाद की

22/4

देखरेख में किया जायेगा और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक–24.04.2021 को प्रातः 10 बजे प्रेषित की जाये।

उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

समस्त परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में नियत वादों में आदेश संख्या–17 दिनांकित–16.04.2021 के अनुसार अग्रिम तिथि नियत करेगें एवं दिनांक 23.04.2021 में जो भी निर्णय/आदेश हेतु वाद नियत है, उनमें अग्रिम कार्य दिवस की तिथि नियत की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये तथा एक आदेश के प्रति जिला न्यायालय, गाजियाबाद की अधिकारिक वेवसाइट (official website) पर आदेश अपलोड किया जाये।

अनिता राज

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
गाजियाबाद

प्रतिलिपि–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
2. प्रभारी नजारत, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
6. बार एसोशिएशन, गाजियाबाद।
7. सिस्टम आफिसर, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
8. न्यायालय नोटिस बोर्ड।

अनिता राज

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
गाजियाबाद